



प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०
Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.

पत्रांक : प्रोससिविवि/सम्बद्धता/2023-2680

दिनांक 29/04/2023

सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के क्रम में कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में मा० कुलपति जी के आदेश दि० 29.04.2023 के अनुपालन में शीतला प्रसाद महाविद्यालय, बिहार, कुण्डा, प्रतापगढ़, उ०प्र० को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत प्रा०भा० इतिहास, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, संस्कृत एवं समाजशास्त्र विषयों में बी०ए० पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2023-24 से सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किये जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, अनुबन्ध पत्र, वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
6. मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या- 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या- 522/सत्तर-2-2013-2 (650)/2012 दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
7. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
8. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या- 421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011, दिनांक: 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।
10. शासनादेश संख्या-292/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक 13.05.2020 एवं पत्र संख्या-266/सत्तर-2-2020-18(31)/2018 दिनांक: 23.04.2020 के क्रम में विश्वविद्यालय के पत्र संख्या- प्रो०रा०सि०वि०वि०/कु०स०का०/2021-460 दिनांक: 25 अक्टूबर, 2021 के द्वारा शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य है।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय कुलपति महोदय।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रबन्धक, शीतला प्रसाद महाविद्यालय, बिहार, कुण्डा, प्रतापगढ़, उ०प्र०।
4. परीक्षा नियंत्रक, प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०।
5. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)।
6. प्रभारी एजेंसी को कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराए जाने हेतु।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव